

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

उप सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 01/02/2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 49S34510009009 अन्तर्गत वर्दी मद् में कुल रु 00.40 लाख (चालीस हजार रुपये मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट मुख्य शीर्ष 3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 3451- सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	090-सचिवालय	09-जल संसाधन विभाग	0.400

आवंटित राशि -

रुपये चालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध कुल राशि रुपये 1030.34 लाख (दस करोड़ तीस लाख चौतीस हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 ,1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363 दि० 09.05.16 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)




(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि०)

7. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित उप सचिव/अवर सचिव/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 211

रॉची, दिनांक :- 01/02/2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 211

रॉची, दिनांक :- 01/02/2021

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II /मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को **Online Sanction** निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं
लघु शीर्ष-090-सचिवालय / उप शीर्ष-09-जल संसाधन विभाग

पत्रांक 211 दिनांक 01/02/2021 परशिवट-1
को अनुदानक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2020-2021	कार्यालय का नाम	वित्तीय शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते यात्रा व्यय												वित्तीय शीर्ष-02- श्रीर्ष-02- यात्रा व्यय												वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												वित्तीय शीर्ष-04- श्रीर्ष-04- मोटरगाड़ियां		वित्तीय शीर्ष-07- अन्य व्यय		(आवृत्ति राशि लाघव रूपसे में)
			वेतन	एल0 टी0 सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	मशीनरी एवं उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	व्यवसायिक सेवा	दूरभाष	वदी	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	यात्री	कुल योग	अभियुक्त																											
1	2		वित्त कोष —→	49S34610009 0090101	49S346100 090090112	49S346100 090090213	49S3461000 90090316	49S3461000 90090317	49S346100 090090223	49S34610009 0090329	49S3461000 90090333	49S346100 090090334	49S3461000 90090442	49S346100 090090760	49S346100 090090789	कुल योग	अभियुक्त																										
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																											
			पूर्व का आवंटन	906.240	2.500	8.000	10.000	3.000	5.000	30.000	3.700	0.000	8.000	3.500	0.000	979.940																											
1	उप सचिव - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सीडी।		वर्तमान आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.400																											
		कुल आवंटन	906.240	2.500	8.000	10.000	3.000	5.000	30.000	3.700	0.400	8.000	3.500	0.000	980.340																												
		अतिरिक्त आवंटन का योग	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.400																												

अतिरिक्त आवंटित राशि- रूपसे चालीस हजार मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव(अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव